मूल संस्था : अशोक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हीराकंडीह

[illegible] पत्र

1- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम अशोक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हीराकंडीह [illegible] / [illegible] / संस्था [illegible] होगा।

2- संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय [illegible] कार्यालय अशोक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हीराकंडीह [illegible] रहेगा तथा इसका कार्य क्षेत्र जिला [illegible] तक सीमित होगा।

3- संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1- टाइपिंग (हिन्दी व अंग्रेजी) तथा आशुलिपि (हिन्दी, अंग्रेजी) प्रशिक्षण देना।

2- सिलाई, [illegible], रेडियो, इलेक्ट्रीशियन, [illegible] प्रशिक्षण देना।

3- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के परिवारों [illegible] संचालित [illegible] योजनाओं की जानकारी [illegible]।

4- [illegible] लोगों को [illegible] उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।

5- गांवों, शहरों, कस्बों [illegible] एवं आदिवासी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना व शिक्षण हेतु प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खुलवाना।

6- [illegible] में [illegible] प्रदूषण से रोकने एवं पर्यावरण को [illegible] हेतु वृक्षारोपण करवाना।

संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों के की पूर्ति में हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ निहित नहीं है।

[illegible] | मंत्री | कोषाध्यक्ष

4- संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एवं कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न लिखित है

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	सदस्यता क्रमांक	आयु	व्यवसाय विवरण सहित	पूर्ण पता	पद सौंपा गया	सदस्य की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री भवानी शंकर पु० चतरभुज	1	२१ वर्ष	कृषि	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं० २३	अध्यक्ष	संरक्षक
२.	" पुष्कर लाल पु० बद्रीलाल	2	२७ वर्ष	कृषि	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं० २३	मंत्री	" संस्थापक
3	" प्रकाश चन्द कुमार पु० नन्द लाल	3	33 वर्ष	कृषि	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं० २३	कोषा०	" विशिष्ट
4	" [illegible] पु० चतरभुज	4	२५ वर्ष	टेलरिंग	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं० २३	सदस्य	" साधारण
5	" अशोक चन्द पु० मांगीलाल	8	२८ वर्ष	कृषि	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं० २३	सदस्य	" साधारण

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

हम निम्न लिखित हस्ताक्षर कर्ता जिनके नाम व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं। इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं:-

क्र० सं० 1.	नाम व पिता 2.	सदस्यता क्रमांक 3.	आयु 4.	व्यवसाय विवरण सहित 5.	पूर्ण पता 6.	सदस्यता की श्रेणी 7.	पूर्ण हस्ताक्षर 8.
1.	श्री भवानी शंकर पुत्र श्री चतरभुज	1	२४ वर्ष	कृषि	PO छीपाबड़ोद वार्ड नं० २३	संरक्षक	[illegible]
2.	श्री [illegible] लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल	२	२७ वर्ष	कृषि	PO छीपाबड़ोद वार्ड नं० २३	सम्माननीय	[illegible]
3.	श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री नन्दलाल	3	33 वर्ष	[illegible]	छीपाबड़ोद वार्ड नं० २३	वैदिक	(प्रकाशचंद कुमार)
4.	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री चतरभुज	4	२५ वर्ष	व्यापार	PO छीपाबड़ोद वार्ड नं० २३	साधारण	(कल्याणसिंह)
5.	श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री नन्दलाल	5	२५ वर्ष	कोई नौकरी	PO छीपाबड़ोद लाल कुआं रोड़	साधारण	पुरुषोत्तम [illegible]
6.	श्री हेमराज पुत्र नन्द किशोर	6	२6 वर्ष	कृषि	PO छीपाबड़ोद वार्ड नं 6	साधारण	हेमराज [illegible]
7.	श्री गोपी शंकर पुत्र अमरलाल	7	२8 वर्ष	कृषि	PO छीपाबड़ोद वार्ड नं. २3	साधारण	गोपीशंकर
8.	श्री आलोक चन्द पुत्र मांगीलाल	8	२8 वर्ष	कृषि	PO छीपाबड़ोद अदालत के पास	साधारण	[illegible]
9.							
10.							
11.							

अध्यक्ष [illegible]

मन्त्री [illegible]

कोषाध्यक्ष [illegible]

/4/

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
×9.	श्री मदन मोहन S/O कन्हैयालाल	9	27 वर्ष	कृषि	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं. 5	साधारण	मनमोहन
×10	" मदनी बाई W/O मदनलाल	10	30 वर्ष	गृहणी	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं. 23	साधारण	मदनी बाई
×11	" हरिकिशन S/O धूलीचन्द	11	43 वर्ष	कृषि	P.O. छीपाबड़ौद वार्ड नं. 23	साधारण	[illegible]

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

संस्था का पंजीयन क्रमांक... 9/बारां/1997-98
संस्था का नाम अशोका लक्ष्मीपति एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, छीपाबड़ौद।
कि म दस्त वेज पंजीयन प्रमाण पत्र, संघ विधान पत्र, विधान नियमावली।
दस्त वेजों की संख्या ... तीन
दिनांक पंजियन ... 30-4-97
हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ... sd/-

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्य प्रति है।
हस्ताक्षर पढ़ने वाले के sd/-
हस्ताक्षर सुनने वाले के
नकल हेतु प्रार्थना-पत्र देने की दिनांक 30-4-97
नकल तैयार करने की दिनांक 30-4-97
नकल देने की दिनांक 30-4-97
[signature]
रजिस्ट्रार संस्थाएं
बारां (राज०)

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षर कर्ताओं को हम जानते है व हमारे सक्षम सदस्यों ने अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हम इस संस्था के सदस्य नहीं हैं।

हस्ता० [signature]
नाम [illegible]
पिता० व्यवसाय [illegible]
अध्यक्ष

मंत्री

हस्ताक्षर [signature]
सरपंच
नाम ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद
पिता/पति, व्यवसाय पं. स. छीपाबड़ौद [illegible]
छीपाबड़ौद

नाम संस्था : अशोका तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हीपाखेड़ा

संस्था विधान- नियमावली

1- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम अशोका तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हीपाखेड़ा समिति/सोसायटी/संस्थान है व रहेगा ।

2- संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत (कार्यालय का पूर्ण पता) कार्यालय अशोका तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हीपाखेड़ा है तथा रहेगा एवं इसका कार्य क्षेत्र जिला स्तर क्षेत्र तक सीमित होगा

3- संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1- टाइपिंग (हिन्दी व अंग्रेजी) तथा आशुलिपि (हिन्दी व अंग्रेजी), प्रशिक्षण देना ।

2- सिलाई, कढ़ाई, सी.पी.सी., रेडियो, इलेक्ट्रीशियन, मोटर वाइंडिंग, पेन्टिंग, रेक्जीन वर्क, फर्नीचर, का प्रशिक्षण देना।

3- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं पुरुषों, केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुँचाना ।

4- गरीब व असहाय लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराने में सहयोग प्रदान करना ।

5- गांवों, शहरों, पिछड़े इलाकों एवं आदिवासी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना व शिक्षण हेतु प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खुलवाना ।

6- शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु वृक्षारोपण करवाना ।

संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों में से जो पूर्ति में इसका सदस्यगण कोई लाभ निहित नहीं है।

भवानीशंकर	पुखराजमाल	(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

4- सदस्यता — निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे, एवं सदस्यता खुली रहेगी। किन्तु एक परिवार से एक ही सदस्य बनाया जा सकेगा।

1- संस्था के कार्य क्षेत्र मे निवास करते हो।

2- बालिग हो।

3- पागल व दिवालिया न हो।

4- संस्था के हितो को सर्वोपरि समझते हो एवं उद्देश्यो की पूर्ति मे सक्रिय होकर कार्य करने की क्षमता रखते हो।

5- संस्था के उद्देश्यो मे रुचि व आस्था रखते हो।

6- सदस्यता के वर्गीकरण अनुसार रकम जमा करा दी हो।

समान उद्देश्यो वाली संस्था मे पूर्व से चले आ रहे कोई भी व्यक्ति जो अन्य संस्था का सदस्य न हो, वह इस संस्था का सदस्य नही बन सकेगा। सदस्य बनाते समय सदस्यों से संस्था के प्रति आस्थावान होने, विधान एवं उपनियमो के अनुरूप कार्य करने तथा नियमो का पालन करने संबंधी लिखित घोषणा-पत्र भरवाया जावेगा। वह किस श्रेणी का सदस्य है, यह भी घोषणा होगा।

5- संस्थान के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जा सकेंगे:-

1- संरक्षक

2- विशिष्ठ

3- सम्माननीय

4- साधारण

6- सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क — उपनियम संख्या 4 मे अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:-

अ शुल्क- 1- संरक्षक राशि --251/- रु.--वार्षिक/आजन्म

2- सम्माननीय राशि ---151=00---वार्षिक/आजन्म

3- विशिष्ठ राशि ---101=00---वार्षिक/आजन्म

4- साधारण राशि ---11=00---वार्षिक/आजन्म

उक्त राशि एक मुश्त जमा कराई जावेगी, प्रवेश के समय 11/- रुपये प्रवेश शुल्क के रूप मे सभी श्रेणी के सदस्यो को जमा कराना अनिवार्य होगा।

सचिव — मंत्री — अध्यक्ष

7- सदस्यता से निष्कासन:- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:-

1- मृत्यु होने पर

2- त्याग-पत्र देने पर

3- विधान के अनुसार अपेक्षित शुल्क/चन्दा की रकम जमा न करने पर

4- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

5- प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर किन्तु उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अंदर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा को की जा सकेगी जिसका बहुमत निर्णय अंतिम होगा।

8- साधारण सभा:- संस्था के उपनियम सं0 5 में वर्णित समस्त श्रेणी के सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेंगे। साधारण सभा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होंगे जो अधिनियम व विधान की सीमाओं में रहकर सभी प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र होगी।

9- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे।

1- प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना तथा गत आम सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना।

3- प्रबंधकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(रजिस्ट्रार फर्म्स कार्यालय में फाईल जमा कराई जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ही संशोधन/परिवर्तन लागू किए जा सकेंगे)

5- आडिट रिपोर्ट पर विचार करके कार्यवाही करना तथा आडीटर की नियुक्ति करना।

10- साधारण सभा:- साधारण सभा की बैठकें निम्न प्रकार बुलाई जावेगी:-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक माह जनवरी में आयोजित करना अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी विशेष आम सभा की बैठक बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा किन्तु कम से कम पांच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष,

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित में भेजनी होगी जिसका प्रमाण रखना आवश्यक होगा।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी और पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। स्थगित बैठक में कोरम 1/3 का आधा अथवा कम से कम पांच सदस्यों का होगा, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व बैठक में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 5 सदस्य इनमें से जो भी कम हो लिखित आवेदन करने पर मंत्री द्वारा एक माह के अन्दर विशेष आम सभा की बैठक आहूत करना अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि में मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 1/3 अथवा 5 सदस्यों द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी जिसका निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगा।

11- कार्यकारिणी:- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

1- अध्यक्ष -एक
2- मंत्री -एक
3- कोषाध्यक्ष -एक
4- सदस्य -दो

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में कुल--5--पदाधिकारी होंगे।

12- कार्यकारिणी का निर्वाचन

1- संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव तीन वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हो, इसका निर्णय आम सभा की बैठक में बहुमत से होगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी

4- प्रत्येक वर्ग के सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।

13- कार्यकारिणी के अधिकार/कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2- वार्षिक बजट तैयार करना।
3- संस्था की संपत्ति की सुरक्षा करना।
4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों आदि का निर्धारण करना।
5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों की क्रियान्विति करना।
6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियों का गठन करना।
7- कोषाध्यक्ष के पास रहने वाली रोकड़ बाकी की सीमा निर्धारित करना।

8- निरीक्षण पत्रों और आडिट रिपोर्टस के आक्षेपों को दूर करना।

9- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

14- कार्यकारिणी:- कार्यकारिणी की बैठकें निम्नलिखितानुसार बुलाई जा सकेंगी;-

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम तीन माह में एक बैठक बुलाना अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल सं0 के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा आपातकालीन बैठक की सूचना परिपालन से कम से कम समय में भी दी जा सकती है। किन्तु ऐसी सूचना कार्यकारिणी के प्रत्येक पदाधिकारी को होना/देना अनिवार्य होगा

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व बैठक में थे। प्रबंधकारिणी के कम से कम तीन पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष तथा मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

इस सभा की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना भी अनिवार्य होगा।

15- प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:- प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-

(1) अध्यक्ष:-

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठक आहूत करने के लिए मंत्री को निर्देश देना/जारी करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

6- अन्य कोई सामयिक कार्य जो संस्था की ओर से करने आवश्यक हो।

नोट:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी की बैठकों में चुना गया पदाधिकारी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) मंत्री:-

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3- आय व्यय पर नियंत्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पारित करना।

5- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

[illegible]

मंत्री. [illegible]

अध्यक्ष.

रजिस्ट्रेशन नं. 2/97–98

स्थापित 1994

अशोका तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

(तकनीकी एवं क्राफ्ट विभाग)

मुख्य कार्यालय :– आबकारी विभाग के पीछे, छीपाबड़ौद

(जिला बारां राज०)

कार्य क्षेत्र - जिला स्तर

क्रमांक :

दिनांक :

संशोधित संघ विधान-पत्र

क्र.सं.	(संस्था के वर्तमान उद्देश्य)	(जोड़े गये उद्देश्य)
1.	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता) कार्यालय अशोका तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, छीपाबड़ौद है व रहेगा एवं इसका कार्य क्षेत्र जिला स्तर बारां क्षेत्र तक सीमित होगा। **इस संस्था का पंजीकृत(कार्यालय का पूर्ण पता) कार्यालय अशोका तकनीकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, छीपाबड़ौद है व रहेगा एवं इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।**	
2.	टाईपिंग (हिन्दी व अंग्रेजी) तथा आशु–लिपि (हिन्दी व अंग्रेजी) प्रशिक्षण देना। **यथावत् (कोई संशोधन नहीं)**	**ग्रामीण युवाओं व नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए मंच तैयार करना।**
	सिलाई, कटिंग, टी.वी., रेडियो, इलेक्ट्रीशियन, मोटर बाईंडिंग, पेंटिंग, रेग्जीन वर्क, कढ़ाई का प्रशिक्षण देना। **सिलाई, कटिंग, टी.वी., रेडियो, इलेक्ट्रीशियन, मोटर, बाईंडिंग, पेंटिंग, रेग्जीन वर्क, कढ़ाई, बुनकर, हाथकरघा, वायरमैन, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण देना।**	**ग्रामीण युवाओं में आत्म निर्भरता, सहयोग तथा स्वेच्छा से समाज सेवा करने की भावना पैदा करना।**

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   मन्त्री

क्र.सं.	(संस्था के वर्तमान उद्देश्य)	(जोड़े गये उद्देश्य)
	अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं, पुरुषों के लिए केन्द्र एवं राज्य–सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुँचाना व केरोसीन वितरण। **यथावत (कोई संशोधन नहीं)**	**युवा कल्याण के लिए रचनात्मक कार्यक्रम हाथ में लेना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, निरक्षरता निवारण, नशाबन्दी, दहेज विरोधी अभियान चलाना व बाल विवाह पर रोक लगाना आदि शामिल है।**
	गरीब व अक्षम लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाना एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान प्राप्त कर लाभान्वितों को सहयोग प्रदान करना। **यथावत (कोई संशोधन नहीं)**	**युवाओं में चरित्र, स्वास्थ्य, अनुशासन, अच्छे नेतृत्व के गुण, मितव्यता, बचत तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना।**
	गाँवों, शहरों, कच्ची बस्तियों व आदि–वासी क्षेत्रों में प्रोढ़ शिक्षा का प्रचार –प्रसार करना व शिक्षण हेतु प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खुलवाना। **यथावत (कोई संशोधन नहीं)**	**विकासशील कार्यक्रमों को आयोजित करने तथा सामाजिक व आर्थिक विकास के उत्तर-दायित्वों को वहन करने की क्षमता पैदा करना। उत्पादन केन्द्र चलाना और सामाजिक उत्थान हेतु शैक्षणिक साहित्यिक एवं जन चेतनाई शिविरों का संचालन करना।**
	शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु वृक्षा-रोपण करवाना। **यथावत (कोई संशोधन नहीं)**	
	महिला एवं बाल विकास हेतु कल्याणकारी कार्य करना।	**युवाओं एवं नागरिकों में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय गौरव, देश भक्ति एवं अच्छी नागरिकता के गुणों को विकसित करना।**
	अनुसूचित जाति, अनु.ज.जा. पिछड़े वर्ग की महिलाओं, पुरुषों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की जानकारी देना एवं वित्तीय संसा-धन उपलब्ध करवाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।	**भारतीय संस्कृति एवं उच्च आदर्शों के प्रति अभिरुचि पैदा करना एवं विकसित करना और अशिक्षा को समाप्त करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाना तथा शिक्षात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।**

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   मन्त्री

क्र.सं.	(संस्था के वर्तमान उद्देश्य)	(जोड़े गये उद्देश्य)
	विभिन्न योजनाओं की क्रिया-न्विति हेतु शिविर आयोजित कर आम लोगों तक पहुँचाना तथा सर्वे कार्य करना।	ग्रामसेवक/सेविका तथा अन्य विभागों के कार्यकर्त्ताओं के साथ संबंधित स्थापित कर सहयोग करना एवं मार्गदर्शन प्राप्त करना।
	प्राकृतिक एवं असामयिक विपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, आग, महामारी दुर्घटनाओं आदि में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ राज्य सरकार के कार्यों में हाथ बँटाना।	बैठक सभा एवं सम्मेलन के द्वारा ज्ञानार्जन और विकासशील कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना। सार्वजनिक कार्यों में सहयोग करना, ग्राम सौन्दर्य को बढ़ाना और ग्राम विकास को अग्रसर करना।
		कृषि एवं ग्रामीण उद्योग एवं हस्तकला आदि में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्व-नियोजन के कार्यक्रम आयोजित कर बेकारी दूर करना।
		महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, औद्योगिक, कुटीर उद्योग, कृषि, खादी ग्रामोद्योग पुर्नस्थापना, निराश्रितों को संरक्षण एवं आवासीय समस्यायें आदि सुलझाना शामिल है।
		पर्यावरण के लिए जन मानस तैयार करना तथा ऐसी कार्यशालाओं का निर्माण करना जहाँ से जन कल्याण के लिए विभिन्न विषयों पर शोध हो सके।
		जन सुविधायें जिसमें बालबाड़ी विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, महिला विद्यालय, छात्रावास, शिशुपालन केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित करना।

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   मन्त्री

क्र.सं.	(संस्था के वर्तमान उद्देश्य)	(जोड़े गये उद्देश्य)

संस्था अपनी आर्थिक नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए भागदान, चन्दा, शुल्क, सरकारी अनुदान प्रतिष्ठानों से सहायता प्राप्त करेगा तथा चल अचल सम्पत्ति भी अर्जित करने का प्रयास करेगा।

संस्था समान रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी तथा उक्त कार्यों के प्रचारार्थ साहित्य का प्रकाशन प्रचार व प्रसार करना।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त उद्देश्यों की भावना के अनुरूप अन्य कोई प्रवृत्ति जिसे कार्यकारिणी उपयुक्त समझे, चालू की जा सकेगी।

महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, औद्योगिक, कुटीर उद्योग, कृषि, खादी ग्रामोद्योग पुर्नस्थापना, निराश्रितों को संरक्षण एवं आवासीय समस्यायें आदि सुलझाना शामिल है।

ग्रामीण विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोगों के रोजगार हेतु विकास कार्य करना तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधसन विकास मंत्रालय के सहयोग से आम लोगों का सहयोग करना।

उक्त संशोधन आज दिनांक 16-1-06 को जारी किया गया।
16.1.06
रजिस्ट्रार
संस्थाएँ- बारां (राज०),

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | मन्त्री

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स, कोटा 6   ☎ : 2380748

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

CASH CHALLAN

Date दिनांक........................

रकम जमा कराने का चालान

Name and Signature of person रकम जमा कराने वाले का नाम व हस्ताक्षर	Name and Signature of person on whose behalf money is paid जिसकी तरफ से रकम जमा कराई जावे उसका नाम व हस्ताक्षर	Full particulars of remittance पूर्ण विवरण रकम व जमा का	Complete classification पूर्ण वर्गीकरण: Major and Minor Head मुख्य एवं लघु शीर्षक	Complete classification पूर्ण वर्गीकरण: Detailed head विस्तृत शीर्षक	Account officer by whom adjustable	Amount रकम Rs. P.
अध्यक्ष अशासकीय तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान छीपाबड़ौद मु.पो. छीपाबड़ौद जिला बारां	अध्यक्ष अशासकीय तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान छीपाबड़ौद तह. छीपाबड़ौद जिला बारां	नियम उद्देश्य/जोड़ संशोधित प्रमाणित प्रति की नकल फीस - 25=00		नकल फीस 0425–सहकारिता 800–अन्य प्राप्तियां रजिस्ट्रार संस्थाएं– बारां (राज.)		25=00 25=00

Amount (in words) Rupees....पच्चीस रुपया मात्र....

रकम (शब्दों में)

Note : Full Accounts classification including head must be this challan on the space provided for the purpose.

टिप्पणी : इस चालान में प्रयुक्त स्थान पर लेखे का पूर्ण विवरण मय विस्तृत मदों के लिखना चाहिए।